

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

17 DEC 2021

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरु, दोसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 में करवाये जा रहे हैं (प्रति सलग्न)। अतः मतदान दिवस दिनांक 21.12.2021 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(डॉ. हर सहाय मीणा)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/ 6513

दिनांक: 17.12.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) बाडमेर, भीलवाडा, बूंदी, चूरु, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग